न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवानः– गजानन्द वगै0 बनाम कन्हैयालाल वगै0 मु0नं0:– 08/2022, कि0मु0:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
पत्रावली आज दिनांक 11.07.2023 को पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई – 1. यह है कि प्रार्थीगण गजानन्द पुत्र रामेश्वर जाति कुमावत वगै0 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 75/0.76है0, 74/0.59है0, 76/0.08है0, 77/0.44है0, 73/0.88है0, 78/0.14है0 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर **पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।** 2. यह है कि प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिये **वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।** उक्त खसरा नम्बर पर पहुंच के लिए खसरा नम्बर 89/2661, 88/2624, जो सिवायचक भूमि है, में से होकर खतेदारी खसरा नम्बर 90/0.06है0, 91/0.57है0 में से होकर खसरा नम्बर 80 रकबा 1.85है0 से होकर प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 75 पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और उक्त रास्ता सबसे न्यूनतम दूरी पर है। 3. यह है कि खसरा नम्बर 89/2661 किस्म नहरी–2, 88/2624 किस्म बारानी 1 सिवायचक, खसरा नम्बर 80 कन्हैया, तुलसीराम, भगवानलाल, मुन्नालाल पिता श्योनारायण जाति जाट निवासी सुरेली, खसरा नम्बर 90 एवं 91 रकबा पप्पू, प्रहलाद, बदरी पिता मोती, लछमा पुत्री मोती, घीसी पत्नि स्व. मोती, भंवरलाल, रामफूल, जन्सी पिता नन्दा जाति काछी निवासी पांवडेरा की खातेदारी भूमि है। अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। 4. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 75 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 90 एवं 91 की उत्तरी मेड से 28 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा, खसरा नम्बर 91 की उत्तरी मेड से 100 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा , खसरा नम्बर 80 की दक्षिणी मेड से 160 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा, 89/2661 की उत्तरी मेड से 72 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा, खसरा नम्बर 88/2624 की दक्षिणी मेड से 40 मीटर लम्बा 2मीटर चौडा कुल 800 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 387450 रू0 प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 30996 रूपये की दुगुनी 61992 रूपये बनती है। अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। पत्रावली दर्ज की गयी एवं अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत ... न्यायालय में उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया ... अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 द्वारा न्यायालय ... उपस्थित होकर	

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.18 14:50:39 IST
Reason: SelfAttested